जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम वाद सं0–33/2020–21

राज्य –बनाम– मो0 वारिस

दिनांक	आदेश	कार्यालय अनुपालन
	वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने अपने पत्रांक:–854/डी0सी0बी0, दिनांक:–12.07.2020 के माध्यम से कुख्यात अपराधकर्मी मो0 वारिस, पिता–अब्दुल रहीम, साकिन–ओल्ड पुरूलिया रोड नं0–05, बहरा मैदान, म0नं0–25, थाना–आजादनगर, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 (अंगीकृत) के तहत थाने पर उपस्थिति दर्ज करने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जिसके फलस्वरूप मो0 वारिस को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्राप्त है। वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने प्रतिवेदित किया है कि अपराधकर्मी मो0 वारिस, पिता–अब्दुल रहीम, साकिन–ओल्ड पुरूलिया रोड नं0–05, बहरा मैदान, म0नं0–25, थाना–आजादनगर, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एक पेशेवर अपराधकर्मी है। इनके क्रियाकलाप के कारण आजादनगर थाना क्षेत्र एवं आस–पास के क्षेत्र में आम जनसभा में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। यह अपराधी चोरी जैसे कांड के आरोप में न्यायिक हिरासत से हाल में ही जमानत पर मुक्त हुआ है और इसके जेल से छुटने पर आजादनगर तथा आस–पास के थाना क्षेत्रों में इनकी गतिविधियाँ सक्रिय व संदिग्ध है निकट भविष्य में ये किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते है। जिसके लिए इनके विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 के अन्तर्गत थाना हाजरी लगाने की कार्रवाई करने पर आमजनों में दहशत का माहौल नियंत्रित होगा। **इस अपराधकर्मी के विरूद्ध निम्न कांड दर्ज है–** 1. आजादनगर थाना कांड संख्या–28/17, दिनांक–04.04.17, धारा–120(बी0) भा0द0वि0 एवं 25(1–b)a/26/35 आर्म्स एक्ट के वादी पुलिस निरीक्षक जितेन्द्र कुमार ठाकुर, पे0–श्री केशव ठाकुर, सा0–वर्तमान पुलिस निरीक्षक–सह–थाना प्रभारी, आजादनगर, थाना–आजादनगर, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नमजद अभियुक्त 1. मो0 वारिस, 2. भोलू उर्फ अब्दूल अब्बास, 3. जम्मो बच्चा उर्फ मो0 सलमान, 4. छोटु बच्चा उर्फ शहनवाज खाँ उर्फ शंकर के विरूद्ध प्रतिबंधित अवैध अग्नेयास्त्र के साथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है। पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन–2 के तहत इस कांड को धारा–120 (बी0) भा0द0वि0 एवं 25(1–b)a/26/35 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1. मो0 वारिस, 2. भोलू उर्फ अब्दूल अब्बास, 3. जम्मो	

बच्चा उर्फ मो० सलमान, 4. छोटु बच्चा उर्फ शहनबाज खाँ उर्फ शंकर के विरूद्ध सत्य पाया गया है।

अनुसंधानोपरांत इस कांड में धारा–120(बी०) भावद०वि० एवं 25(1–b)a / 26 / 35 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 1. मो० वारिस, पे०–अब्दुल रहीम, सा०–ओल्ड पुरूलिया रोड, बहेरा मैदान, रोड नं०–05, 2. भोलू, पिता–अब्दूल अब्बास, सा०–रोड नंबर 07, 3. जम्मो बच्चा उर्फ मो० सलमान, पे०–मो० मौला अली, सा०–रोड नं० 12, 4. छोटू बच्चा उर्फ शहनवाज खाँ उर्फ शंकर, पे०–एकरामुल खाँ, सा०–आजादनगर, सभी थाना–आजादनगर, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–52 / 17, दिनांक–31.05.17 समर्पित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि कुख्यात अपराधकर्मी मो० वारिस, पिता–अब्दुल रहीम, साकिन–ओल्ड पुरूलिया रोड नं०–05, बहरा मैदान, म०नं०–25, थाना–आजादनगर, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर थाना क्षेत्रों में अपने नाम का आतंक फैला रखा है। कुख्यात अपराधकर्मी मो० वारिस आदतन अपराध करने का आदि है तथा जेल से बाहर रहने पर पुनः सक्रिय हो जाता है, जिससे थाना क्षेत्र की लोक शांति व्यवस्था पर काफी प्रतिकुल असर पड़ता है । इसके भय एवं दहशत से इसके विरुद्ध कोई भी थाना में सनहा तक दर्ज कराने का साहस नहीं कर पाता । चूंकि ये पेशेवर एवं कुख्यात अपराधकर्मी है। इसके शहर में मौजूद रहने से विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। इसके अपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित रखने तथा लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना हाजरी की कार्रवाई करने से आम जनता के मनोबल में वृद्धि होगी तथा दहशत का माहौल नियंत्रित होगा, जो की थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहायक सिद्ध होगा। अभिलेख का अवलोकन किया गया। विपक्षी को नोटिस का तामिला प्राप्त है। विपक्षी लगातार अनुपस्थित है। नोटिस तामिला के उपरांत न्यायालय में उपस्थित न होना न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।

वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि तथाकथित अपराधकर्मी मो० वारिस, पिता–अब्दुल रहीम, साकिन–ओल्ड पुरूलिया रोड नं०–05, बहरा मैदान, म०नं०–25, थाना–आजादनगर, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर थाना क्षेत्रों में अपने नाम का आतंक फैला रखा है। कुख्यात अपराधकर्मी मो० वारिस आदतन अपराध करने का आदि है तथा जेल से बाहर रहने पर पुनः सक्रिय हो जाता है, जिससे थाना क्षेत्र की लोक शांति व्यवस्था पर काफी प्रतिकुल असर पड़ता है । जो झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा–3(1)(a)(b) के तहत विपक्षी कार्रवाई हेतु पर्याप्त आधार है।

अतः अपराध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 3(1)(a) & 3(1)(b) के तहत तथाकथित अपराधकर्मी अपराधकर्मी मो० वारिस, पिता–अब्दुल रहीम, साकिन–ओल्ड पुरूलिया रोड नं०–05, बहरा मैदान, म०नं०–25, थाना–आजादनगर, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को आदेश दिया जाता है कि वे दिनांकः– **<u>03.04.2021 से 02.07.2021</u>** तक की अवधि में प्रतिदिन संबंधित थाना में

उपस्थिति दर्ज करायेंगे। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002(अंगीकृत) अधिनियम की धारा–7(1)(b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0 10,000/–(दस हजार) का बंधपत्र (with two surety) दिनांक **03.04.2021** तक दाखिल करेंगे कि वे समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नही किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 (अंगीकृत) धारा–7(2)(b) के तहत कार्रवाई की जायेगी। अपरिहार्य परिस्थिति में अगर वे अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो इस हेतु अधोहस्ताक्षरी से पुर्नानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांकः– 762 (8) /विधि, दिनांकः– 26-03-21

प्रतिलिपिः– अपराधकर्मी मो0 वारिस, पिता–अब्दुल रहीम, साकिन–ओल्ड पुरूलिया रोड नं0–05, बहरा मैदान, म0नं0–25, थाना–आजादनगर, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांकः– 762 (8) /विधि, दिनांकः– 26-03-21

प्रतिलिपिः– वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/पुलिस अधीक्षक, (नगर) जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस उपाधीक्षक, (पटमदा), जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि–व्यवस्था, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– थाना प्रभारी, आजादनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2023.01.24 18:33:59 +05:30
Location: 192.168.1.21